तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
23/7/24	[illegible] दिनांक 05/8/24 को पेश हो।	
5/8/24	पत्रावली पेश। T.I. पर बहस हेतु पत्रावली आइन्दा 21/8/2024 को पेश हो। सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) जोधपुर	
21/8/24	पत्रावली पेश हुई। वादी/प्रतिवादी [illegible] अनुपस्थित। [illegible] होने के कारण पत्रावली [illegible] दिनांक 22/8/24 इत्तला होकर [illegible] को पेश हो।	
22/8/24	पत्रावली पेश हुई। [illegible] अनुपस्थित। [illegible] होने के कारण [illegible] दिनांक 27/8/24 [illegible] इत्तला होकर [illegible] को पेश हो।	
27/08/24	पत्रावली पेश। वकुलाय उप.। उभयपक्ष बहस सुनी गई। वास्ते आदेश प्रा.पत्र पत्रावली दिनांक 28/08/24 को पेश हो। सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) जोधपुर	
28/08/24	पत्रावली पेश। उभयपक्ष बहस पर मनन किया गया। मुताबिक बहस अधि. प्रार्थी-" विवादित भूमि प्रार्थिनी के ससुर प्रेमाराम के नाम 1/3 हि. दर्ज थी। प्रेमाराम के देहांत पश्चात उक्त भूमि प्रार्थिनी के पति हिराराम के नाम दर्ज हुई। हिराराम के देहांत पश्चात प्रार्थिनी	

प्रार्थिनी को 02 पुत्रियों व 01 पुत्र के नाम mutation दर्ज हुआ। प्रार्थिनी के पुत्र राणाराम की पत्नी नजकी द्वारा फर्जी तरीके से प्रार्थिनी एवं उसकी पुत्रियों का हिस्सा राणाराम के पक्ष में हक-तर्क करवा लिया। राणाराम की मृत्यु पश्चात राणाराम की पत्नी एवं बच्चों के साथ माता का नाम भी दर्ज होना चाहिए था। अतः मौके एवं record की यथास्थिति हेतु अप्रार्थीगण को पाबंद किया जावे।"

मुताबिक बहस अधि· अप्रार्थी-" प्रार्थिनी का विवादित भूमि पर कब्जा-काश्त नहीं है। प्रार्थिनी एवं उसकी पुत्रियों को हक-तर्क की पूर्ण जानकारी है। राणाराम द्वारा मृत्यु से पूर्व अपनी पत्नी एवं बच्चों के पक्ष में वसीयत कर दी गई थी। Ancestral property में एक बार rights release कर देने के बाद पुनः rights claim नहीं कर सकते। अतः प्रा· पत्र खारिज फरमाया जावे।"

उपरोक्त तथ्यों, बहस, दस्तावेजों के आधार पर प्रा· पत्र का निस्तारण निम्नानुसार किया जाता है-" प्रस्तुत जमाबंदी के अनुसार विरासत का mutation भरा गया है ना कि वसीयत के आधार पर (वसीयत के आधार पर तहसीलदार द्वारा की गई summary

FORM No. 123

(Order 24 Rule 7, Order 32 Rule 3)

Order Sheet

CNR NUMBER 2023/98

urt of सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट ट्रेक) जोधपुर at ....

Kind of the Case U/S - 212 R.T.A. -1955

Number of Case A/45/ Year 2023

चिड़ी ..... Versus [illegible] व अन्य

te	Order with initials of Presiding Officer	Brief note of compliance of the Order
	trial पत्रावली में उपलब्ध नहीं है। As per section 08 of Hindu Succession Act, 1955 माता प्रथम श्रेणी की वारिस है अतः विरासतन mutation में प्रथम दृष्टया माता का नाम दर्ज होना था। अतः प्रथम-दृष्टया मामला प्रार्थिनी के पक्ष में साबित होता है। यदि प्रार्थिनी को बेदखल किया जाता है तो अपूरणीय क्षति होने की संभावना है। अतः प्रा-पत्र आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए अप्रार्थी सं. 01 ता 08 को पाबंद किया जाता है कि विवादित भूमि के 1/9 हि. के record की यथास्थिति बनी रहे एवं उक्त हिस्से की भूमि में किसी प्रकार की दखल अंदाजी तार्फैसला मूलवाद ना करे आदेश पढ़कर सुनाया गया। पत्रावली फैसल- शुमार होकर दाखिल- दफ्तर हो। Sd/- सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) जोधपुर सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट ट्रेक) सत्यमेव जयते जोधपुर	